05
03/24

आज यह पत्रावली वादिनी के प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गयी। वादिनी ने स्वयं उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि उसका प्रतिवादीगण के साथ राजीनामा हो गया है। इसलिए वाद आगे नहीं चलाना चाहती अतः दावा खारिज किया जावे।

वादिनी को सुना गया। इसके निवेदन पर

पर यह वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय के मुताबिक होकर नम्बर से कम हो तथा तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरू)